

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/पार्ट-1/56223/2014

जयपुर, दिनांक: 18 AUG 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
समस्त राजस्थान।

विषय:- नरेगा सॉफ्ट में दर्ज कोड का जनगणना 2011 के कोड के साथ Map किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.01.2014 एवं विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 29.01.2014


महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न जिलों द्वारा पृथक-पृथक प्रकार के कोड कार्य में लिये जाकर नरेगा सॉफ्ट के तहत एन्ट्री की गयी है। इस कारण पूरे राज्य में प्रयोग में लिये गये कोड में समानता नहीं होने के कारण इनका अन्य योजना/विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध डाटा के साथ Map किया जाना संभव नहीं हो पाता है एवं इसके कारण विभिन्न डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का integration नहीं हो पाता है।

इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.01.2014 को जारी किये गये परिपत्र की प्रति संलग्न कर विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 29.01.2014 द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उक्त कार्यवाही 10 फरवरी, 2014 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, परन्तु आदिनांक तक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-


1. Mapping की कार्यवाही पंचायत समिति स्तर से की जानी है। कार्यवाही दिनांक 25.08.2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जायेगी।
2. जिला एम.आई.एस. मैनेजर जिले के नोडल ऑफिसर होंगे एवं उनका यह दायित्व होगा कि कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति से सम्पर्क में रहते हुए दिनांक 25.08.2015 तक यह कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करायेगें। कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदार होंगे एवं इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. महात्मा गांधी नरेगा वैबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट संख्या 12.9 की आवश्यकतानुसार समीक्षा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा द्वारा की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिले के सम्पूर्ण गांवों की Mapping, census code के अनुरूप निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो जाये।

उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

  
(रोहित कुमार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस